

FOR PUBLISHING ON THE WEB SITE

No. A-50013/292/2021-E-II
GOVERNEMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION,

ADVERTISEMENT

One post of '**Chief Administrative Officer**' in the Central Water and Power Research Station, Pune in the Pay Level 11 (Rs 67700 - 208700) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-3 Rs.15,600-39,100+Rs.6,600 GP (Pre-Revised), Group 'A', Gazetted, is required to be filled up by **Promotion/deputation (including short-term contract)/ absorption :-**

1. Officers under the Central/State Government/union Territories/ Universities/ Public Sector Undertakings/ Recognized Research Institutes/ Semi Government/ Autonomous /statutory organizations:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in parent cadre or Department;

OR

(ii) with five years regular service in the Pay Level 10 (Rs 56100 - 177500) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-3, Rs. 15600—39100 + Rs. 5400 GP (Pre-revised)) or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years regular service in the Pay Level 7 (Rs 44900 - 142400) of Pay Matrix of the Revised pay rule of 2016 (PB-2, Rs. 9300—34800 + Rs. 4600 GP (Pre-revised)) of or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) having five years experience in administrative and establishment matters

2. The Departmental Administrative Officer in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion

Note 1.—Only Officers from Central Government/State Government/ Union Territory are eligible for being considered for appointment by absorption.

Note 2.—The departmental officers in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.—Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 4.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 5.—For the purpose of appointment on promotion/ deputation (including short term contract)/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any up gradation.

4. The terms and conditions of the deputation would be the same as prescribed by the Department of Personnel & Training vide their O M No.2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

5. Interested and eligible officers may send their applications (in triplicate) in the prescribed proforma (Annexure-'A') to the Under Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Room No.435, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001, through proper channel, **within 60 days from the date of issue of this advertisement.** The closing date of receipt of applications from candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh (Union territory), Lahaul & Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad will be 67 days from the date of publication of advertisement. While forwarding the applications, along with attested photocopies of ACRs for the last five years, Integrity certificate and No Penalty Certificate during the last ten years in respect of the officers, the Cadre/Administrative Authority should certify that the particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance/disciplinary case is pending against the officer(s). Applications received after the last date or without copies of ACRs/Integrity Certificate/No Penalty Certificate/Vigilance Clearance Certificate or otherwise found incomplete will not be considered. The candidates who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

CURRICULUM VITAE PROFORMA

1. Name and Address (in Block Letters)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. (i) Date of entry into service (ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other Qualifications required for the post are satisfied. (If any quali- fication has been treated as equi- valent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same).	
Qualifications/ experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
Essential	Essential
(1) Qualification	(1) Qualification
(2) Experience	(2) Experience
Desirable	Desirable
(1) Qualification	(1) Qualification
(2) Experience	(2) Experience
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential & Desirable qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ Office at the time issue of circular and issue of advertisement in the Employment News.	
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate .	
6. Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/views confirming the relevant Essential Qualification/ work experience possessed by the candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/ Institution	Post Held on regular basis	From	To	*Level and pay in pay matrix held on regular basis	Nature of duties(in detail) highlighting experience required for the post applied for

- Important: Pay in the Cell and Level of pay matrix granted under ACP/MACP is personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only level in pay matrix of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present level in the pay matrix where such benefits have been drawn by the candidate, may be indicated as below:

Office/Institution	Level and pay in pay matrix under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi Permanent or Permanent.			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:-			
(a) The date of initial appointment	(b) Period of appointment on deputation/Contract	(c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs	(d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organization
<p>9.1 Note: In case of officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate</p> <p>9.2 Note: Information under column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization</p>			
10. If any post held on deputation in the past			

by applicant, date of return from the last deputation and other details		
11. Additional details about present employment Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant Column) a) Central Govt. b) State Govt. c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others		
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.		
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.		
14. Total emoluments per month now drawn.		
Level in Pay Matrix	Pay Drawn	Total Emoluments
15. In case the applicant belongs to an organization which is not following the Central Government Pay Scales, the latest salary slip issued by the organization showing the following details may be enclosed		
Pay in the pay matrix and rate of increment	Dearness pay/interim relief/ other allowances etc.(with breakup details)	Total Emoluments
16.A. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications(ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.)		

<p>16.B. Achievements The candidates are requested to indicate information with regard to:- (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) any other information. (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.)</p>	
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption/Re-employment Basis. (Officers under Central/State Govts. are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government organisations are eligible only for Short Term Contract).</p>	
<p>#(The option of 'STC'/'Absorption'/Re-employment are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>	
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

Signature of the Candidate

Address _____

Date _____

Certification by the Employer/Cadre Controlling Authority

The information/details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available in the records. He/She possesses the academic qualifications and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;
- (i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Shri/Smt.
 - (ii) His/her integrity is certified.
 - (iii) His/Her CR dossier in original is enclosed/photoCopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Government of India or above are enclosed.
 - (iv). No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/cadre control authority with seal)

वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु

संख्या: 50013/292/2021-स्था

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण विभाग

विज्ञापन

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में मुख्य प्रशासन अधिकारी, समूह "क", राजपत्रित, स्तर का एक पद वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (रु.67700 - 208700 - संशोधित) (वेतन बैंड -3 रु. 15600-39,100 + रु.6,600 ग्रेड वेतन-पूर्व-संशोधित) में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध)/आमेलन के द्वारा भरा जाना आवश्यक है :

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघीय शासित प्रदेश/ विश्वविद्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शिक्षण संस्थान/ अर्द्ध सरकारी / स्वायत्त और सांविधिक संगठन के ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) नियमित आधार पर मूल कैडर या विभाग में अनुरूप पद धारण कर रहे हैं;
या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (Rs.56100-177500- संशोधित) (वेतनबैंड -3 रु.15600-39100 ग्रेड वेतन 5400- पूर्व संशोधित)में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (Rs.44900-142400- संशोधित) (वेतनबैंड -2 रु.9300-34800 ग्रेड वेतन 4600- पूर्व संशोधित)में सात वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों;

और

(ख) प्रशासनिक तथा स्थापन के मामलों में पांच वर्ष का अनुभव

2. विभागीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसने वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में नियमित 7 वर्ष की सेवा की है, उन्हें बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, अगर वह चयनित होता है, यह पदोन्नति के रूप में माना जाएगा।

टिप्पणी १.—केवल केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

टिप्पणी २.— फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी ३.—केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आमतौर पर नहीं होगी तीन साल से अधिक करने के लिए।

टिप्पणी ४.— प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को ५६ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी ५.—प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पहले एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा या जिस तारीख से संशोधित वेतन संरचना के आधार पर छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को बढ़ा दिया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का विलय किया गया हो। एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में वेतन, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

4. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें वही होंगी जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/29/91-स्था. (वेतन II) दिनांक 05.01.1994 समय-समय पर यथा संशोधित।

5. अनुरोध है कि इच्छुक और पात्र अधिकारियों का आवेदन तीन प्रतियों में निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक - क) में अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, पिछले 10 वर्षों में कोई शास्ति न लगाने का प्रमाण-पत्र और सतर्कता निकासी के साथ अवर सचिव (स्थापना-II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा सं-435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को इस संबंध में 'रोजगार समाचार पत्र' में विज्ञापन जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भेज दिए जाएं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश) हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा

चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप) या विदेश से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख इस विज्ञान के प्रकाशन की तारीख से 67 दिन होगी। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों अथवा बिना गोपनीय रिपोर्टों, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, कोई शास्ति न होने और सर्तकता निकासी प्रमाण-पत्र के या अन्य रूप से अधूरे पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात उम्मीदवारी को वापिस नहीं लिया जा सकता ।

जीवनवृत्त/जीवन परिचय प्रारूप

1.	नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:	
2.	जन्मतिथि (ईस्वी सन में)	:	
3.	(i) सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख (ii) केन्द्र/राज्य सरकार के नियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	:	
4.	शैक्षणिक अर्हताएं	:	
5.	क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है, तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)		
	विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथा उल्लिखित अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव		अधिकारी द्वारा धारित योग्यताएं/अनुभव
	अनिवार्य		अनिवार्य
	क) योग्यता		क) योग्यता
	ख) अनुभव		ख) अनुभव
	वांछनीय		वांछनीय
	क) योग्यता		क) योग्यता
	ख) अनुभव		ख) अनुभव

5.1	टिप्पणी- परिपत्र जारी होने के समय और रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियम (आरआर) में यथा उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय योग्यताओं को दर्शाने के लिए इस कॉलम को विस्तारपूर्वक भरा जाना आवश्यक है।
5.2	डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यताओं के मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों तथा पूरक विषयों को सूचित किया जाए
6.	कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
6.1	टिप्पणी- सेवाएं लेने वाले विभागों को आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संबंधित अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथा सूचित) की पुष्टि करते हुए अपनी विशेष टिप्पणी/मत देना होता है।
7.	कालक्रमानुसार सेवा का ब्यौरा। यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से यथा प्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें

कार्यालय/सं स्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल	आवेदित पद हेतु अपेक्षित अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत प्रदान कि गए वेतन मैट्रिक्स में सेल में वेतन और वेतन का स्तर अधिकारी का व्यक्तिगत होता है और इसलिए उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। मात्र नियमित आधार पर धारित पद के सेल में मौजूदा वेतन और वेतन के स्तर के ब्यौरे का उल्लेख किया जाए। वेतन मैट्रिक्स में सेल में वर्तमान वेतन और वेतन के स्तर सहित एसीपी/एमएसीपी के विवरण, जहां अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार का लाभ लिया गया है, को निम्नानुसार दर्शाया जाए-

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएससीपी स्कीम के तहत लिया गया सेल में वेतन, मैट्रिक्स में वेतन स्तर	से	तक

8.	वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा अर्द्धस्थाई अथवा स्थाई	:	
9.	वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें	:	
	क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जहां से आवेदक संबद्ध है
			घ) मूल संगठन में वास्तविक क्षमता में धारित पद का नाम और पद का वेतन
9.1	टिप्पणी- अधिकारी के पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर होने के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को संवर्ग स्वीकृति, सतर्कता स्वीकृति और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र सहित मूल संवर्ग/विभाग द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।		
9.2	टिप्पणी- उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना को सभी मामलों में दिया जाना आवश्यक है जहां वह व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर एक पद का धारण		

	किए हुए हैं लेकिन अब भी अपने मूल संवर्ग/संगठन में धारणाधिकार (लियन) बनाए हुए हैं।		
10.	यदि आवेदक द्वारा अतीत में प्रतिनियुक्ति पर किसी पद का धारण किया गया है तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापिस आने की तिथि और अन्य विवरण		
11.	वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण : कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं- क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य		
12.	कृपया उल्लेख करें क्या आप उसी विभाग कार्यरत हैं और क्या फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में कार्यरत है।		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	:	
14.	वर्तमान में प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां		
	वेतन बैंड में मूल वेतन	सेल्ल और वेतन मैट्रिक्स का स्तर	कुल परिलब्धियां
15.	ऐसे मामले में जहां आवेदक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसमें केन्द्र सरकार के वेतनमान का पालन नहीं किया जाता है, निम्नलिखित विवरण को दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए।		
	वेतनमान और वेतन वृद्धि की दर सहित मूल	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ता आदि	कुल परिलब्धियां

	वेतन	(विस्तृत विवरण सहित)	
16.	आपके द्वारा आवेदित पद के लिए संगत अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों। (इसमें (i) अतिरिक्त अकादमिक योग्यताएं (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव से अधिक अथवा ऊपर कार्य अनुभव से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाए) (टिप्पणी- अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो।)	:	
16. ख)	उपलब्धियां- अभ्यर्थियों को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देने का अनुरोध किया जाता है- i. शोध प्रकाशन और रिपोर्टें तथा विशेष परियोजनाएं ii. पुरस्कार/छात्रवृत्ति/विभागीय प्रशंसा iii. पेशेवर निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों के साथ ऐफिलीएशन और iv. अपने नाम पर अथवा संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट v. सरकारी मान्यता सहित कोई शोध/नवाचार उपाय vi. कोई अन्य सूचना टिप्पणी: यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें।	:	
18.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।	:	

मैंने ध्यानपूर्वक रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को पढ़ा है और मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव के संबंध में दिए गए दस्तावेजों सहित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का आकलन पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना/विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और मेरे चयन के संबंध में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी वास्तविक तथ्य को छुपाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नाम-----

पता-----

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना/विवरण रिकॉर्डों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव का धारण करते/करती हैं। यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि-

- i) श्री/श्रीमती..... के विरुद्ध कोई भी सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- iii) उनका/उनकी सीआर डौजीयर मूल रूप में संलग्न किया गया है/भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक अथवा इससे ऊपर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित विगत पांच वर्षों की एसीआर की प्रतिलिपियां संलग्न की जाती हैं।
- iv) विगत 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर कोई वृहद/लघु शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा विगत 10 वर्षों के दौरान उनके ऊपर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न की जाती है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मोहर सहित)